## छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

<u>*अपील प्रकरण कमांक 925/2007*</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **श्री एफ0आर0 ठाकुर,**<br>**ग्राम- कोंहगाटोला, पोस्ट-सांकरा,**<br>**तहसील-बालोद,**<br>**जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)** | - | *अपीलार्थी* |

**विरूद्ध**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *जन सूचना अधिकारी,*<br>**विधि एवं विधायी कार्य विभाग,**<br>**छ0ग0 शासन, मंत्रालय,**<br>**रायपुर (छत्तीसगढ़)** | - | *प्रति अपीलार्थी* |

*//<u>आदेश</u>//*

*(दिनांक 25 फरवरी, 2008)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ठाकुर द्वारा जन सूचना अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के समक्ष दिनांक 05.07.2007 को जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन भेजे गये, जो दिनांक 02.08.2007 को अस्वीकार किया गया, तत्पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 06.08.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 17.09.2007 के द्वारा निरस्त की गई और उसी आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 28.09.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसके विरूद्ध एण्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत केस पर विधि विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी और उससे संबंधित नस्तियों की प्रतियॉं एवं अन्य जानकारी की आवश्यकता उन्हें उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील में प्रस्तुत करने के लिए है और जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने गलत आधार पर उनके आवेदन निरस्त किये हैं । इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.09.2007 में विस्तार से विवेचना की है और उनके द्वारा बताया किया गया है कि अधिनियम की धारा-8(एच) के अन्तर्गत अभियोजन में बाधक होने के कारण यह जानकारी दिया जाना संभव नही है और इसी आधार पर उन्होंने प्रथम अपील निरस्त की है । इस संबंध में अभियोजन न्यायालय में प्रकरण चल ही रहा है तथा मा0 उच्च न्यायालय में रिट

अपील प्रस्तुत है, अतः आवेदक यह चाहता है तो संबंधित न्यायालय से अनुरोध करके संबंधित रिकार्ड को न्यायालय में बुलवाने का अनुरोध कर सकता है और यदि न्यायालय चाहेगा तो उचित आदेश पारित करेगा । जहाँ तक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है, तो धारा-8(एच) के अन्तर्गत विभाग को यह छूट प्राप्त है कि वह जानकारी देने से मना कर सकता है और इसी आधार पर जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश दिये गये हैं, वह अपने स्थान पर सही है और उनमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

3/ अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त